न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 70/2023
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

1. प्रेम सिंह पुत्र भाग सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
2. जीत सिंह पुत्र भाग सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

—वादीगण

बनाम्

1. भाग सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
2. सुनीता पत्नी सुखवीर पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी शेरपुरा तह व जिला सिरसा हरि0.
3. कुसम कवंर पत्नी जयपाल पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी रोहीडा वाली तहसील अबोहर जिला फाजिलका पजाव
4. माया पत्नी मंगत पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राज0.
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—1. श्री राजेश बुडानिया —वकील वादीगण
2. श्री परमजीत कौर —वकील प्रति 1 ता 4

निर्णय

दिनांक :—01.05.2024

वादीगण प्रेम सिंह ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बावत् घोषणा के तहत दिनांक 01—02—2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीगण व प्रतिवादी सं 1 व 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण प्रतिवादी सं 1 के पुत्रगण व प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 के भाई है प्रतिवादी सख्या 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073—2076 के खाता स 106/72 मे 4.161है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है कि वादीगण व प्रतिवादी सं 1 व 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण प्रतिवादी सं 1 के पुत्रगण व प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 के भाई है कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073—2076 के खाता स 106/72 मे 4.161है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 की विरासतन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी सख्या 1 के बराबर ब.ही.व हक व हिस्सा जन्म से बनता है प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 ने अपने हक [illegible] भूमि [illegible] वादीगण व प्रतिवादी स 1 के पक्ष मे ब.हि.ब कर दिया है। उक्त भूमि का वादीगण [illegible] प्रति[illegible] सख्या 1 ने अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया है। मुताबिक [illegible] विभाजन वादीगण को उक्त खाता मे प्रतिवादी स 1 के नाम चक न 17 एम.जे.डी ज.स 20[illegible] के खाता स 106/72 मे 4.161है कृषि भूमि मे से 2.024है कृषि भूमि [illegible] मे आई है। वादी इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 3 मे दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। की प्रतिवादी संख्या 5 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.05.21 16:02:03 I
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बाद पत्र बाबत घोषणा का हैं जो उचित 2/–रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। (क) कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073–2076 के खाता स 106/72 मे 4.161है कृषि भूमि मे से वादीगण को 2.024है ब.हि.ब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जावें।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने सहमति का जवाव दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 5 का तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाव दावा प्रस्तुत हुआ जो शामिल प्रत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी मे वादी स 2 ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। तथा जं.बं. चक नं. 17 एम.जे.डी ज.स 2073–2076 के खाता सं. 106/72 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073–2076 के खाता स 106/72 मे 4.161है कृषि भूमि मे से वादीगण को 2.024है ब.हि.ब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जावें। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073–2076 के खाता स 106/72 मे 4.161है कृषि भूमि मे से वादीगण को 2.024है ब.हि.ब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:02:03 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 70 / 2024

वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

1. प्रेम सिंह पुत्र भाग सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
2. जीत सिंह पुत्र भाग सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

–वादीगण

बनाम्

1. भाग सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
2. सुनीता पत्नी सुखवीर पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी शेरपुरा तह व जिला सिरसा हरि0.
3. कुसम कवंर पत्नी जयपाल पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी रोहीडा वाली तहसील अबोहर जिला फाजिलका पजाब
4. माया पत्नी मंगत पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राज0.
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 01.05.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक क्लेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्रीमती परमजीत कौर वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073–2076 के खाता स 106 / 72 मे 4.161है कृषि भूमि मे से वादीगण को 2.024है ब.हि.ब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत......X......निल......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक......X......अदा करें। वसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक......01.05.2024......जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.21 15:02:03
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 144 / 2024
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

कुलदीप कौर पत्नी सुखचरण सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–वादीया

बनाम्

1. गुरमीत कौर पुत्री सुखमन्द्र सिंह पत्नी जगतरण सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न 9 ढाणी 1 एल.के.एस पिलीबगा तहसील पिलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0.
2. सुखवीर सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
3. प्रीतपाल सिंह पुत्र सुखचरण सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
4. मनप्रीत कौर पुत्री सुखचरण सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादी
2. श्री मनीराम सहू –वकील प्रति 1 ,2

निर्णय

दिनांक :– 01.05.2024

वादीया कुलदीप कौर ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 04–04–2024 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीया के ससुर व प्रतिवादी स 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी स 3 व 4 के दादा मृतक सुखमन्द्र सिंह पुत्र हरदमसिंह के नाम तहसील संगरिया के चक न 25/1 ए.एम.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 145/61 मे 1.518है बरानी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि की जमाबदी सगलन वाद पत्र है। कि वादीया व प्रतिवादी गण 1 ता 4 मृतक सुखमन्द्र सिंह पुत्र हरदमसिंह के जायज वारीसान है। वादीया प्रतिवादी स 1 व 2 की भाभी है व प्रतिवादी स 3 व 4 की माता कि वादीया के ससुर व प्रतिवादी स 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी स 3 व 4 के दादा मृतक सुखमन्द्र सिंह पुत्र हरदमसिंह के नाम तहसील संगरिया के चक न 25/1 ए.एम. पी ज.स 2073–2076 के खाता स 145/61 मे 1.518है बरानी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसके वादीया व प्रतिवादी स 1 ता 4 जायज व कानूनी वारीसान है वादीया के पति सुखचरण सिंह की मृत्यू हो चूकि है जिसके पश्चात् सुखचरण सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह के वादीया व प्रतिवादी स 3 व 4 जायज वारीसान है उक्त विरासतन भूमि मे वादीया व प्रतिवादी स 3 व 4 का 1/3 हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी स 1 ने उक्त खाता की अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादीया व प्रतिवादी स 3 व 4 के पक्ष ब.हि.ब से कर दिया है। व प्रतिवादी स 2 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का मुताबिक घरू बटवारा अन्य खाता [illegible] लिया है। जो प्रतिवादी स 2 को अपनी माता से प्राप्त हूई है। व उक्त खाता की [illegible] वादी[illegible] व प्रतिवादी स 3 व 4 के हक व हिस्सा मे आई है अब उक्त खाता मे प्रतिवादी स 2 का [illegible] हक व हिस्सा शेष नही है वादीया इसी अनुसार मृतक सुखमन्द्र सिंह [illegible] ज. स 2073–2076 के खाता स 145/61 मे 1.518है बरानी कृषि भूमि [illegible] व प्रतिवादी स 3 व 4 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित करवा मृतक सुखमन्द्र सिंह का नाम कलमजन करवाने की अधिकारी व दावेदार है। कि वादीया ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:02:03 IST
Reason: SelfAttested

5 को लैण्ड होल्डर होने के पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादपत्र बाबत घोषणा का है जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादीया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। (क) कि चक न 25/1 ए.एम.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 145/61 मे 1.518है बरानी कृषि भूमि का वादीया व प्रतिवादी स 3 व 4 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से मृतक सुखमन्द्र सिंह पुत्र हरदमसिंह नाम कलमजन किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रं.सं. 3 व 4 द्वारा हाजिर अदालत ना आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सहमति का जवाव दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 5 का तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाव दावा प्रस्तुत हुआ जो शामिल प्रत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी मे वादीया ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। तथा ज.बं. चक न 25/1 ए.एम.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 145/61 कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया चक न 25/1 ए. एम.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 145/61 मे 1.518है बरानी कृषि भूमि का वादीया व प्रतिवादी स 3 व 4 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से मृतक सुखमन्द्र सिंह पुत्र हरदमसिंह नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीया के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीया ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादीया द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीया का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद पत्र डिक्री किया जाता हैं कि चक न 25/1 ए.एम.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 145/61 मे 1.518है बरानी कृषि भूमि का वादीया व प्रतिवादी स 3 व 4 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से मृतक सुखमन्द्र सिंह पुत्र हरदमसिंह नाम कलमजन किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku Meena
Date: 2024.05.21 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 144 / 2024
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कुलदीप कौर पत्नी सुखचरण सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–वादीया

बनाम्

1. गुरमीत कौर पुत्री सुखमन्द्र सिंह पत्नी जगतरण सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न 9 ढाणी 1 एल.के.एस पिलीबगा तहसील पिलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0.
2. सुखवीर सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
3. प्रीतपाल सिंह पुत्र सुखचरण सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
4. मनप्रीत कौर पुत्री सुखचरण सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 01.05.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक क्लेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादीया मिन जामिन मुदई व श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 ,2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि चक न 25 / 1 ए.एम.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 145 / 61 मे 1.518है बरानी कृषि भूमि का वादीया व प्रतिवादी स 3 व 4 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से मृतक सुखमन्द्र सिंह पुत्र हरदमसिंह नाम कलमजन किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोट:– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज......X......नल.......X.......मुब्लिक.......X.......निल.......X.......बाबत.......X.......निल.......X.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक......X......अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.......01.05.2024.......जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.21 15:02:03
Reason: SelfAttested